

**वित्त मंत्रालय**  
**मांग संख्या 34**  
**पेंशन**

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	...	4320.00	4320.00	...	4170.00	4170.00	...	4368.00	4368.00	
पूंजी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
<b>जोड़</b>	...	<b>4320.00</b>	<b>4320.00</b>	...	<b>4170.00</b>	<b>4170.00</b>	...	<b>4368.00</b>	<b>4368.00</b>	
<b>पेंशन तथा अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ</b>										
1. अधिवर्षिता और सेवा-निवृत्ति भत्ते	2071	...	2700.00	2700.00	...	2590.00	2590.00	...	2614.00	2614.00
2. पेंशन का संराशीकृत मूल्य	2071	...	360.00	360.00	...	360.00	360.00	...	380.00	380.00
3. उपदान	2071	...	460.00	460.00	...	460.00	460.00	...	516.00	516.00
4. परिवार पेंशन	2071	...	460.00	460.00	...	420.00	420.00	...	420.00	420.00
5. छुट्टियों का भुगतान	2071	...	278.14	278.14	...	278.14	278.14	...	373.51	373.51
6. भविष्य निधियों के लिए अंशदान	2071	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00
7. पेंशन संबंधी विविध भुगतान	2071	...	9.86	9.86	...	9.86	9.86	...	9.50	9.50
8. अन्य	2071	...	1.30	1.30	...	1.30	1.30	...	1.40	1.40
<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>										
9. जमा संबद्ध बीमा योजना	2235	...	29.00	29.00	...	29.00	29.00	...	32.00	32.00
10. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना	2235	...	1.01	1.01	...	1.01	1.01	...	1.01	1.01
11. अन्य	2235	...	0.69	0.69	...	0.69	0.69	...	0.58	0.58
<b>कुल जोड़</b>		...	<b>4320.00</b>	<b>4320.00</b>	...	<b>4170.00</b>	<b>4170.00</b>	...	<b>4368.00</b>	<b>4368.00</b>

इस मांग में पेंशन और उपदान के भुगतान के लिए प्रावधान शामिल है तथा इसमें वे भुगतान भी शामिल हैं जो भारत की समेकित निधि पर भारित होते हैं जिन्हें बाद में राज्य सरकारों से वसूल कर लिया जाता है। इस मांग में अंशदायी और अन्य

भविष्य निधियों, जमा सम्बद्ध बीमा योजना और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना में अंशदान के लिए प्रावधान भी शामिल हैं।